

नायब तहसीलदार भियाड, जिला बाडमेर

राजस्व प्रकरण मामला संख्या 126/2025 अर्न्तगत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956
सायल बनाम गैर सायल

राजस्थान राज्य
जरिये पटवारी भियाड

खोजूराम पुत्र हरखाराम
जाति मेघवाल निवासी रुपासरीया।

'निर्णय'

दिनांक:-27.10.2025

पत्रावली आज बमुकाम भियाड मे पेश हुई और गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का हनने अवलोकन किया सक्षिप मे तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भियाड मे धारा आर.एल. आर. एक्ट 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गै.सा. ने मीजा रुपासरीया के खसरा नं. 1154/938 रकबा 827581 हैक्टेयर किरम गै.मु.मगरा मे से 3.2374 हैक्टेयर राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कब्जा/काशत किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस से सुनवाई हेतु तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ/और गैर सायल उपस्थित रहा।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विशदग्रस्त भूमि से बेदखल करने के आदेश प्रारित किये जाते है। साथ ही वार्षिक लगान रूपये 0.12 पैसा का गुणा 50 जुर्माना राशि रूपये 120/- पूर्णांक मे अक्षरे एक सौ बीस रूपये/- मात्र से आलेपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

पटवारी हल्का और मू0अ0 निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना एक माह मे पेश करे। मू0 अभिलेख निरीक्षक को फसल नीलामी हेतु आदेशित किया जाता है।

टी.आर.ए. पटवारी हल्का, निरीक्षक मू.अ. आदेश से सूचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जायें।

निर्णय दिनांक 27.10.2025 को सरेअम चुनाया गया।


नायब तहसीलदार भियाड
नायब तहसीलदार
भियाड तह. जिला - बाडमेर

